न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—126 / 2025 / 225 आर.टी.एक्ट (2025 / 126)

1. महावीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत, निवासी चौसला हाल निवासी भराई तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र रामसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह
   राजपूत, निवासी भराई तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. छीतर पुत्र कल्याण
4. रामधन पुत्र कल्याण
5. सुगनी पुत्री कल्याण
6. घीसी पत्नि छोटूलाल
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी भराई तहसील केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 राजस्व वाद संख्या 48 / 2021 (2021 / 352)

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0 लखावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 12.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 48 / 2021 (2021 / 352) में पारित आदेश दिनांक 17. 02.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 48 / 2021 (2021 / 352) में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.2.2021 में उभय पक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र को निर्णित करने का जो निर्देश दिया था उसकी समुचित पालना नहीं की तथा अपीलार्थीगण द्वारा जो तथ्य अंकित किए तथा जवाब में जो लघुतम रास्ते बाबत अंकन किए, इस पर आदेश दिनांक 17.2.2025 में उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना किए बिना ही अत्यन्त ही अवैधानिक तरीके से आदेश दिनांक 17.2.2025 पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शे को नजर अंदाज किया तथा राजस्व नक्शे से पूर्णतया स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 507 तथा 507/1255 के खातेदार को लघुतम रास्ता खसरा संख्या 508, 509 की पूर्वी माड तथा खसरा संख्या 510 की पूर्वी माड से दिया जाना उचित था तथा उक्त रास्ता लघुतम था बिना घुमाव का था तथा जानबूझ कर भू अभिलेख निरीक्षक ने पश्चातवर्ती रिपोर्ट में इस बाबत अंकन नहीं किया, तथा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस बाबत अंकन के रहते हुए इस बिन्दु पर बिना विचार किये जो आदेश उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने पारित किया है वह पूर्णतया अवैध है तथा अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित आदेश में उन आधारों व कारणों का पूर्णतया अभाव है जिसके आधार पर वह खसरा संख्या 370, 369 व 367 में से होकर रास्ता दिये जाने के निष्कर्ष पर पहुँचे हो, आदेश दिनांक 25.09.2017 में ऐसे कोई आधार व कारण वर्णित नहीं है जिससे यह बिन्दु साबित होता हो कि अपीलार्थीगण द्वारा अपने पश्चातवर्ती जवाब में जो लघुतम रास्ता बताया वह लघुतम नहीं हो। इस कारण स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने अत्यन्त ही अवैधनिक पहुँच रखते हुए विधिक प्रावधानों को नजर अंदाज कर आदेश दिनांक 17.2.2025 पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने इस बिन्दु को नजर अंदाज किया कि खसरा संख्या 367 में अपीलार्थी का आवास बना हुआ है, के सामने से होते हुए अपीलार्थी की सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि में लम्बा रास्ता स्वीकृत कर दिया। जबकि लघुतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, तथा पूर्व में खसरा संख्या 507, 508, 509, 510 एक ही खातेदार की भूमि थी, जो आवागमन हेतु खसरा संख्या 509, 510 में से ही रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता रहा, तथा वर्तमान खातेदार भी इसी प्रकार से अपने खेतों पर पहुँचते है तथा खसरा संख्या 509 व 510 के खातेदारों द्वारा पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक से सांठ गांठ कर इस लघुतम रास्ते का जानबूझ कर रिपोर्ट में अंकन ही नहीं करवाया तथा इस बाबत अपीलार्थी ने अपने जवाब में अंकन किया था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने इस पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने अपीलार्थी को सुनने के उपरांत अपीलार्थी के जवाब में वर्णित तथ्यात्मक स्थिति व अभिलेखिय स्थिति बाबत किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रकरण का निस्तारण करते हुए नवीनतम स्थिति पर विचार नहीं किया तथा उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित आदेश अत्यन्त ही गलत पहुँच रखते हुए बिना विधिपूर्ण एवं न्यायिक विवेचन किए अंतिम निष्कर्ष प्रदान किया गया है जो किसी भी प्रकार से स्वविवेचित आदेश नहीं है तथा उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित आदेश किसी

न्यायिक सोच का परिणाम नहीं है इस कारण आदेश दिनांक 17.2.2025 अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 48/2021 (2021/352) में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थी की वादवर्णित आराजी ग्राम भराई के खसरा संख्या 505 रकबा, 2.05 है0 किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 530 रकबा 1.62 है0 किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 529 रकबा 0.71 है0 किस्म बारानी प्रथम से आराजी की मेड से होकर प्रार्थीगण विद्यमान मार्ग के विस्तार करने या चौडा करने का आशय रखते है जिसे अप्रार्थीगण प्रार्थी के खसरा संख्या 507 में आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत नहीं होने से अपीलार्थीगण की अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा वर्तमान प्रकरण में दिनांक 25.09.2017 को निर्णय पारित किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 12.02.2021 को निर्णय पारित किया जाकर उक्त प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः दिनांक 17.02.2025 को निर्णय पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

तहसीलदार केकडी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 12.02.2024 का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 507 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 369, 370 व 367 से होना बताया गया है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई सुलभ व कम दूरी का रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा किसी भी सूरत में रास्ता नहीं देने व खसरा नम्बर 367 में गेट लगाकर अतिक्रमण किए जाने बाबत उल्लेख किया गया है।

उक्त मौका रिपोर्ट बाबत भूअभिलेख निरीक्षक कार्यालय से मौका रिपोर्ट के संबंध में उभयपक्षों को नोटिस जारी किए गए। उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति तथा अन्य दो गांव के मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति में बनाई गई है तथा अपीलांट द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाने से इंकार किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति पर उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर दिनांक 24.07.2024 को आपत्ति खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति का विधिसम्मत रूप से निस्तारण किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से यह उज्र उठाया गया कि खसरा नम्बर 507 तथा 507/1255 के खातेदार को लघुत्तम रास्ता खसरा संख्या 508, 509 की पूर्वी माड तथा खसरा संख्या 510 की पूर्वी माड से दिया जाना उचित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिंदु पर बिना विचार किए आदेश पारित किया गया है।

मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजीयात खसरा नम्बर 507 में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 369, 370 व 367 में से होना बताया गया है तथा उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से खसरा नम्बर 507 में आवागमन हेतु उठाए गए उज्र सारहीन है। उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में नियम 69 की विधिवत रूप से पालना करते हुए बनाई जाकर उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत रूप से रास्ता कायामी हेतु आदेश पारित किए गए हैं, चूंकि एक काश्तकार को अपनी आराजीयात में आवागमन व कृषि यंत्रों को ले जाने हेतु रास्ता होना आवश्यक है, क्यों कि रास्ता एक सुखाधिकार के तहत प्रयोग में लिया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मंशा भी यहीं है।

अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि न्यायालय हाजा द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 48/2021 (2021/352) में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर